

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 149/2021

1. पवन कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:- वादी

व नाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. विमला पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. सावित्री पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बेनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं० 265/239 के खसरा सं० 128/2 की 2.0870है० खसरा सं० 353/3 की 2.113है० खसरा सं० 367 की 4.6170है० खसरा सं० 399/2 की 1.9730है० कुल 10.7900है० वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 रामेश्वरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 रामेश्वरलाल की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूकिं प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी पवन कुमार व प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वरलाल बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



28
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 149/2021

1. पवन कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

:- वादी

ब न म

1. रामेश्वरलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

2. विमला पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

3. सावित्री पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बेनीवाल : वादीगण

वकील श्री सतवीर बेनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 31.03.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा भाडी के खाता सं० 265/239 के खसरा सं० 128/2 की 2.0870 है० खसरा सं० 353/3 की 2.113 है० खसरा सं० 367 की 4.6170 है० खसरा सं० 399/2 की 1.9730 है० कुल 10.7900 है० वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा कानाराम की खातेदारी हुआ करती थी। कानाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वरलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 4 स्टेट की ओर से प्रतिवादीगण को पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 पवनकुमार पुत्र रामेश्वरलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी संवत 2075-78 प्रदर्श 1 जमाबंदी खसरा मिलान भाडी प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के राष्यो को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर गनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावदी रोही भाडी संवत 2075-78 प्रदर्श 1 जमावदी खसरा मिलान भाडी प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार रामेश्वरलाल के एक पुत्र पवनकुमार व दो पुत्रियां विमला, सावित्री इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूकिं प्रतिवादी सं 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 0.265/239 के खसरा सं 0 128/2 की 2.0870 है 0 खसरा सं 0 353/3 की 2.113 है 0 खसरा सं 0 367 की 4.6170 है 0 खसरा सं 0 399/2 की 1.9730 है 0 कुल 10.7900 है 0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 रामेश्वरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 रामेश्वरलाल की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी पवन कुमार व प्रतिवादी सं 0 1 रामेश्वरलाल बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़